



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102020-222339
CG-DL-E-09102020-222339

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3123]
No. 3123]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 9, 2020/आश्विन 17, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 9, 2020/ASVINA 17, 1942

गृह मंत्रालय
(आंतरिक सुरक्षा-1 प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3516(अ).—केंद्रीय सरकार, मुख्य आयुक्त गुरुद्वारा निर्वाचन नियुक्ति नियम, 2014 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस. एस. सरोन को सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 (1925 का पंजाब अधिनियम संख्यांक VIII) के अधीन अपेक्षित कृत्यों का पालन करने के लिए मुख्य आयुक्त, गुरुद्वारा निर्वाचन के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17014/13/2014-आईएस-VII]

पुण्य सलिला श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(INTERNAL SECURITY-I DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2020

S.O. 3516(E).—In exercise of the powers conferred by rule 3 of the Chief Commissioner Gurdwara Elections Appointment Rules, 2014, the Central Government hereby appoints Justice (Retired) S. S. Saron as the Chief Commissioner, Gurdwara Elections for performing the functions required under the Sikh Gurdwaras Act, 1925 (Punjab Act VIII of 1925).

[F. No. 17014/13/2014-IS-VII]

PUNYA SALILA SRIVASTAVA, Jt. Secy.